भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1692
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषयः- पीएमडीडीकेवाई की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य

1692. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं, जिसमें फसल विविधीकरण, फसल कटाई के बाद की अवसंरचना, संस्थागत ऋण तक पहुंच पर बल देना शामिल है और उक्त योजना के तहत अभिसरण के लिए चयनित 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के लिए आवंटित निधि का घटक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जिला धन-धान्य समिति (डीडीडीएस) की संरचना और प्रगतिशील किसान तथा महिला प्रतिनिधि सदस्यों के निष्पक्ष चयन को सुनिश्चित करने वाले दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है और अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर की क्या भूमिका है;

(घ) क्या बिलासपुर जिले में डीडीडीएस का गठन किया गया है और यदि हां, तो उक्त गठन किस तिथि को किया गया है और तत्संबंधी वर्तमान सदस्यों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके लिए क्या समय-सीमा प्रस्तावित है; और

(ङ) बिलासपुर में पीएमडीडीकेवाई के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है, चिन्हित 100 जिलों में लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है, प्रमुख चुनौतियां क्या हैं और कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उनसे निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (डीडीकेवाई) का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोपरांत भंडारण बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना और अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण की उपलब्धता को आसान बनाना है।

इस योजना का कार्यान्वयन 11 विभाग की 36 मौजूदा योजनाओं के अभिसरण, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ से किया जा रहा है। इन योजनाओं की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है। अभिसरण के तहत संबंधित योजना के अनुसार निधि तय की जाएगी और डीडीकेवाई के लिए कोई पृथक बजट का प्रावधान नहीं किया गया है।

(ग): डीडीकेवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला धन-धान्य कृषि योजना समिति की संरचना नीचे दी गई है:

1. जिला कलेक्टर- अध्यक्ष
2. सीईओ जिला पंचायत (पीडी.डीआरडीए)
3. जिला कृषि अधिकारी/उप निदेशक (कृषि) - सदस्य सचिव
4. बागवानी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी
5. मत्स्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी
6. पशुपालन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी
7. जिला रजिस्ट्रार सहकारी समितियां
8. जिला पंचायती राज अधिकारी या समकक्ष
9. अधिशासी अभियंता, सिंचाई
10. अग्रणी बैंक अधिकारी
11. नाबार्ड प्रतिनिधि
12. केवीके के प्रमुख वैज्ञानिक
13. दो प्रगतिशील किसान
14. किसान समृद्धि केन्द्र के प्रतिनिधि
15. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय अधिकारियों के रूप में नामित अन्य संबंधित विभाग

डीडीकेवाई जिलों के जिला कार्य प्लान (डीएपी) स्थानीय चुनौतियों और संभावनाओं के आधार पर बनाए जाते हैं। प्लान हितधारकों से परामर्श करके बनाया जाता है और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला धन-धान्य कृषि योजना समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। योजना के दिशानिर्देश (गाइडलाइंस) नीचे दिए गए वेबलिंक पर उपलब्ध हैं।

https://www.agriwelfare.gov.in/en/GuideAgriMkt

(घ): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में दिनांक 15.10.2025 को जिला धन-धान्य कृषि योजना समिति का गठन किया गया है और समिति की वर्तमान संरचना नीचे दी गई है:

1.	उपायुक्त, बिलासपुर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (पीडी, डीआरडीए), बिलासपुर	सदस्य
3.	उप निदेशक, कृषि, बिलासपुर	सदस्य सचिव
4.	उप निदेशक (बागवानी), बिलासपुर	सदस्य
5.	सहायक निदेशक (मत्स्य पालन), बिलासपुर	सदस्य
6.	उप निदेशक (पशुपालन), बिलासपुर	सदस्य
7.	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बिलासपुर	सदस्य
8.	अधिशासी अभियंता, जेएसवी डिवीजन, बिलासपुर	सदस्य
9.	प्रमुख जिला प्रबंधक, यूको बैंक	सदस्य
10.	जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम), नाबार्ड, हमीरपुर	सदस्य
11.	प्रमुख वैज्ञानिक, केवीके बिलासपुर, बर्थिन	सदस्य

12.	दो प्रगतिशील किसान	सदस्य (अभी नामित होना बाकी है)
13.	दख्यूत कृषि सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, (केएसके) डांगर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर	सदस्य
14.	जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य

(ङ): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले सहित 96 डीडीकेवाई जिलों ने डीएपी तैयार कर लिए हैं और उन्हें डीडीकेवाई डैशबोर्ड पर अपलोड कर दिया है। डीडीकेवाई का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण एवं सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। डीएपी में प्रस्तावित गतिविधियों को जिलों में शुरू कर दिया गया है।

अनुबंध-I

पीएमडीडीकेवाई के अंतर्गत अभिसरण के लिए योजनाओं की सूची

1. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

i. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
ii. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
iii. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
iv. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
v. कृषि विपणन के लिए समेकित योजना (आईएसएएम)
vi. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
vii. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
viii. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
ix. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
x. प्रति बूँद अधिक फसल (पीडीएमसी)
xi. कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम)
xii. नमो ड्रोन दीदी
xiii. मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता (एसएचएंडएफ)
xiv. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
xv. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
xvi. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
xvii. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-पाम ऑयल
xviii. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास
xix. डिजिटल कृषि मिशन

2. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

i. कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण

3. मत्स्य पालन विभाग

i. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
ii. प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना

4. पशुपालन एवं डेयरी विभाग

i. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम
ii. डेयरी विकास
iii. राष्ट्रीय गोकुल मिशन
iv. राष्ट्रीय पशुधन मिशन

5. सहकारिता मंत्रालय

i. प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) का कम्प्यूटरीकरण
ii. सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

6. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

i. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

क. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय परियोजनाएँ (बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना विकास)

ख. कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन

ग. हर खेत को पानी (सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं का विकास)

7. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

i. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई)

ii. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)

8. ग्रामीण विकास विभाग

i. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)

9. भूमि संसाधन विभाग

i. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)

ii. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)

10. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

i. कौशल भारत कार्यक्रम - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

ii. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

iii. ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई)

*****